

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—इण्ड 3—उप-इण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₩0 191] No. 191] नद्रै विल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 1982/द्यावाढ 3, 1904 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 1982/ASADHA 3, 1904

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के इत्य में रक्षा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

विदेश मंत्रालय

प्रधिमुचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1982

सा० का० मि० 469 (अ) — पासपोर्ट प्रधिनियम 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, पारं . नियमावली, 1980 में प्रीप संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :---

- (1) ये नियम पासपोर्ट (संगोधन) नियम, 1982 कहलाएंगे।
- (2) ये 1 जून, 1982 में लागू होंगे।
- (3) पासपोर्ट नियमावली, 1980 की प्रनुसूची III—भाग III (देखें नियम 11) में की गई प्रविष्टिया हटाई जाएंगी भीर उनके स्थान पर निम्निश्चित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1982

G.S.R. 469 (E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amond the Passports Rules, 1980, namely:—

- (1) These rules may be called the Passports (amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force from First Jung, 1982.
- (3) The entries made in Schedule III Part III (See rule 11) of Passports Rules, 1980 shall be delected and the following entries shall be substituted in lieu thereof.

फार्म पी-1 FORM P-I

राजनियक पासपोर्ट का प्ररूप Form of Diplomatic Passport

> (मुख भावरण) (Front Covor)

राजनयिक पासपोर्ट DIPLOMATIC PASSPORT



सन्दर्भव जयते

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

(ग्रांतरिक मुख ग्रावरण) (Inside Front Cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन मबसे जिनका इस बान से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेका की जाती है कि वे बाहक को बिना रोक-टोक, ब्राजार्थी से श्राने-जाने दें, श्रीर उसे हर तरह की ऐसी सहायता श्रीर सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे श्रावस्थकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

	Given at में
	On 19 को दिया गया
	भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेण से विया गया। By Order of the President of the Republic of India.
]
\setminus	/

(पृष्ठ--1) (Page No. One)

इस पासपोट में 36 पृष्ठ हैं। This pass portcontains 36 pages.

राजनियक पासपोर्ट DIPLOMATIC PASSPORT

भारत INDIA

पासपोर्ट संख्या		
PASSPORT NUM	BER	
नाम		
NAME		
	,, ने साथ हैं जिनके विवरण नी	
Accompanied particulars are ment	bytioned below.	Children Whose
नाम	जन्म की तारीखा	लड़का/लड़की
Name	Date of Birth	Male/Female
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
राष्ट्रिकता		
National Status	******************	
, (4112-1)	1	
	(পুন্ত-2) (Pag _a No. Two)	
	-	
	(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number	-)
	विवरण/Descriptio	n
लिंग	व्यव साय	
Sex	Profession	. , , , , , , , . , . ,
ग्रधिवास	कद	सें मी०
Domicle	Height	Cms.
- रंग	मांखों का	वालों का
Colour	of eyes	of hair
C 1.0		
Name of father/h	usband	
14amb of lamei/n		
स्थायी पता		
Permanent Addres		
मत्य अयवा	दुर्षट्नाकी स्थिति में जिस	सम्बन्धी प्रथवा मित्र को
सूचना देनी हो उसक	त विवरण ।	
Particulars of or accident.	relative/friend to be inti	mated in event of death
नाम		
Name		
पता		
Address		
सम्बन्ध		

2

(পৃচ্ছ—- 3) (Page No. Three)	(पृष्ठ—5) (Page No. Five) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)		
(पुस्तिका मंख्या) (Booklet Number)			
	(1) संख्या सारीख		
g	No. Date		
Mark	इस पासपोर्ट की वैधसा		
R बन्म स्थान Place of birth बन्म की नारीख Date of birth पहचान के प्रकट चिन्हें Visible Distinguishing Marks	तक बढाई गई है। Validity of this passport is extended up to		
and the second state of the second state of the second sec			
R बन्म की तारीख Date of birth पहचात के प्रकट Visible Disting			
R Place of क्वन्म की न पहचान हे Visible I			
RER F. T. J. M. T. M.	(2) संक्ष्या नारी म्ब		
8	No. Date		
TE 1	इस पासपोर्ट की वैद्यता		
धारक का फोटो PHOTOGRAPH OF THE BEARER बन्म स्थान पह्नान है			
धारक का फोटो OGRAPH (
GR.	()		
원 원			
PHG array	(3) संख्या नानीख		
	No. Date		
	इस पासपोर्ट की वैधनातक बढ़ाई गई है।		
3	Validity of this passport is extended up to.		
(पुष्ठ4)			
(Page No. Four)			
(पुस्तिका संख्या)	5		
(Booklet Number)	(बद्ध		
यह पासपोर्ट निम्नलिखित देशों की यात्रा के लिए वैध है।	(Page No. Six)		
This passport is valid for travel to countries mentioned below.	(पुस्सिका संख्या)		
***************************************	(Booklet Number)		
	विविध सेवा Miscellaneous Service		

यवि मनधि न बढाई जाए तो			
इस पासपोर्ट की बैधता			
को समाप्त हो घाएगी । Unless renewed validity of this passport expires on	हिष्पणी Observation		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	•••••		
4	6		

(পৃত্ত 7 से 34) (Pages Nos. Seven to Thirty Four)

> (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

> > नीचा VISAS

7 to 34

(বৃহু 35) (Page No. Thirty flvc)

> (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

सफर खन्न के लिए विवेशी मुदा FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्राधिकार प्राप्त व्यवसायी के मलावा भौर कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई । Country of travel for which	दी गई भ्रथवा लौटाई गई रकम निकटतम पौंड या रुपये के बराबर (पींड या रुपयों में) Amount issued or	व्यवसायी की मुहर भौर उसके हस्ताक्षर Stamp and Signa- ture of Authorised
	exchange has been sold	refunded (Sterling or Rupee equivalent to nearest or Re.)	Dealer selling exchange.

(মৃষ্ট 36) (Page No. Thirty Six)

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

विभियम राजनियक पासपोठकी वैद्धता

- 1. राजनियक पामपोर्ट की बेदाता उस समय स्वतः सभाष्त हो जाएगी जब सम्बन्धित व्यक्ति जिसके माम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण यह राजनियक पासपोर्ट पाने का प्रधिकारी हुमा था। ऐसी सूरत में, राजनियक पासपोर्ट को विवेश मंत्रालय नई विल्ली में मथवा विवेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।
- 2. यह पासपीर्ट केवल उन देशों की याल्ला के लिए दिया गया है जिनका उल्लेख पुष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर उनके भ्रतिरिक्त भीर देशों के लिए भी पृथ्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृथ्ठांकित पासपोर्ट उपलब्ध होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू भाष्रवासन कानूनों का पालन न करे, भ्रयवा जहां वीजा हासिल करना भ्रावस्यक हो, जहां उसे हासिल न करे।
- 3. पासपोर्ट की वर्तमान वैश्वता समाप्त होने के बाब उसकी पूरी मियाद में किसी भी समय उसका पुनर्वेशीकरण किया जा सकता है लेकिन इसकी मियाद समाप्त होने के बाद नया पासपोर्ट लेना होगा।
- पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर जाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

- 1. यह पासपोर्ट महिल्लपूर्ण वस्तावेज है। यह भारत सरकार की सम्पत्ति है। यह धारक ग्रयवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए। इसे किसी भ्रत्निश्चल व्यक्ति के हाथों में नहीं पहुंचने देना चाहिए। यदि यह को जाय या नव्ट हो जाय सो इसके कोने या नव्ट होने की भौर इसके कारणों की सुचना तत्काल भारत में सबसे निकट के पासपोर्ट प्राधिकारी को या (यदि पासपोट्यारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन की तथा स्मानीय युनित को वी जानी चाहिए।
 - 2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार का फेर-बबल करना चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न यथोवित रूप से प्राधिकार प्राप्त ग्राधिकारी के ग्रातिरियत किसी ग्रन्य व्यक्ति की इस पर पृथ्ठीकन ही करना चाहिए।
 - 3. भारत सरकार ग्रगर चाहे तो पासपोर्ट ग्राधिनियम, 1967 के प्राधिभानों के मधीन इस पासपोर्ट की जन्त ग्रथवा रह कर सकती है। ऐसी सूरत में पासपोर्टिशरी को चाहिए कि वह पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम प्राधिकारी को यह पासपोर्ट सौंप वे।
 - यह पासपोर्ट पासपोर्टघारी की पहचान का पक्का प्रमाण-पत्र होता है, इसलिए उसकी चाहिए कि तह इसे अपने हो साम रखे।
 - पासपोट खारी को पासपोर्ट के सम्बग्ध में पासपोर्ट प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी सुबना का तत्काल पालन करना चाहिए।

(पृष्ठ ग्रावर्ण का ग्रांतरिक भाग) (Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF DIPLOMATIC PASSPORTS

- 1. A Diplomatic Passoport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive a Diplomatic Passport. In such an event, a Diplomatic Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.
- 2. This passport is avilable for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within it total life after which a fresh passport must be obtained.
- 4. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF

INDIA. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST-PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE IMPOUNDED OR RE-VOKED AT THE DISCRETION OF THE GOVERN-MENT OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE PASSPORTS ACT, 1967, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISH-ING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.
- 5. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGRDING THIS PASS PORT SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

मीर

And

कार्मपी-। (क) FORM P-1(A) राजनयिक पासपोर्ट का प्ररूप FORM OF DIPLOMATIC PASSPORT (मक्य आक्रण) (Front Cover) राजनियक पासपोर्ट DIPLOMATIC PASSPORT भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA (भ्रांतरिक मुख भ्रावरण) (Inside Front Cover) इसके हारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेका की जाती है कि वे बाहक को बिना रोक-टोक भाजार्द से धाने-जाने दें, भौर उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करे जिसकी उसे घावायकता हो । These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hind-rance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need. Given at...... the.....day भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के धादेण से दिया गया । BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA इस पासपोर्ट में 32 पुष्ठ हैं। This passport contains 32 pages. राजनियम पासपोर्ट DIPLOMATIC PASSPORT भारत INDIA पासपोर्ट का नम्बर No. of Passport बाहक का नाम Name of Bearer साथ है उसकी पत्नी (जन्म नाम) Accompanied by his wife (Maiden Name)

> राष्ट्रिकता National Status

Children

(পুচ্ছ-2) (Page No. Two) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number) विधार पा Description पर्त्नी/Wife व्यवसाय Profession अन्म-स्थान धीर जन्म की तारीख Place and date of birth **श्र**धियाग Domicile मी ० सें० मीं० मी० सं० मी० कव C.m. M. C.m. M. Height घालां कारग Colour of eyes बालां का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चिह्न Visible distinguishing marks मच्चे/Children लडका/लडकी जन्म की सारीख नाम Date of Birth Male/Female Name (qez −3) (Page No. three) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number) बाहक का फोटो Photograph of Bearer Signature of Bearer ाहक के हस्ताक्षर फोटी (PHOTO) परनी Wife Signature of Wife **ग्लो के हस्ता**झर फोटो (PHOTO) 3

(पृथ्ड-4) (Page No. Four)			पुष्ड∽6) ge No. Six)	
(पुस्पिका संख्या)			स्तका संख्या)	
(Booklet Number)		(Book)	let Number)	
यह पामपोर्ट इन देशों के लिए वैद्य है			नवीकरण	
Countries for which this passport is valid		1	Renewals	
			6	
		,	2)	
			ਾੂਠ−7 स ੇ 29)	
		*	ven to Twenty-nine)	
प्रविध बढ़ाई न जाए तो इस पासपार्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त		,,,	पुस्तिका संख्या) oklet Number)	
होती है			वीजा	
Unless renewed the validity of this Passport expires on			VISAS	
			7	
जारी करने का स्थान }				
चानीज ो		(पष्ठ	30 भौर 31)	
Dated \\ \data \\ \da		٠.٠	hirty & Thirty-one)	
4		• •	स्त्रका संख्या)	
4		`~	det Number)	
(पुरुठ- 5)		सपार खर्च	के लिए विदेशी मुद्रा	
(Page No. Five)	FORE	IGN EXCHANGE	FOR TRAVELLING	3 EXPENSES
(पुस्तिका संख्या)	इस	पृष्ठ के खानों को विदे	शीमुद्राके प्राधिकार प्र	हिन व्यवसायी के
(Booklet Number)		ग्रीर कोईन भरे।		
घर का पता		entries to be made	on this page except t	y an authorised
Home Address	dealer	in foreign exchange.		
भारत में म्यायी पता (ग्रर्थात् गांव या कस्बे का नाम, जिला ग्रीर राज्य):		देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुबा	दी नई या लौटाई गई रकम (निकटनम पौंड	मुद्रा के ग्राधिकार प्राप्त व्यवसायी
Permanent address in India:		बेची गई Country of travel for which exchange	या रूपए के बराबर-	प्राप्त व्यवसाया की महर ग्रौर उसवे
(Including Village or Town, District and State)	नारीख		पींड या रुपयों में)	हस्ताक्षर
	Date			Signature of Authorised
			to nearest £ or Re.)	Dealer selling exchange
्रापता/पति का नाम ग्रौर पता (भ्रथित् गांव या कस्त्रे का नाम, जिला ग्रौर राज्य) :				
Name of Father/Husband and his full address (Including Village or Town, District and State)				1
•••••			{	
.,,				
टिप्पणी				
Observations				
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<u> </u>	
5			30-31	_ <u>,</u>

(पृष्ठ 32) (Page 32)

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

विनियम

राजनधिक पासपोर्ट की वैधता

- 1 राजनियक पासपोर्ट की बैधता उस समय स्थतः समाप्त हो जायगी, जब कोई व्यक्ति जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण वह राजनियक पासपोर्ट पाने का प्रधिकारी हुआ था। ऐसी सूरल में राजनियक पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई विल्ली, में भणवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।
- 2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी की इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किभी देश में लागू झाप्रवास कानूनों का पालन न करे अथना जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो वहां उसे न ले।
- (क) पासपोर्ट में पासपोर्टघारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी वह उसके पासपोर्ट पर भ्रकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।
- (ख) पम्द्रह्साल सं ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रलग-ग्रलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।
- पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद उमे, उसकी पूरी भविध के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।
 - पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाफ डांग नहीं भेजना चाहिए ।

चेतावनी

- 1. यह पासपोर्ट मूल्यबान अपल है। इसे किसी धनधिकारी के हार्यों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खी आए या मध्द हो जाए तो इस बात की धौर इसके कारणों को मुखना सत्काल विवेश मंत्रालय, नई दिल्लो को या (यदि पासपोर्टधारी विवेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।
- 2. इस पातपर्ट में न तो किसी प्रकार की प्रवल-ववल करनी चाहिए, न इसे बिक्टत करमा चाहिए और न विधियत मधिकार प्राप्त सरकारी कर्मवारी के म्रांतरिक्त किसी म्रांग्य व्यक्ति को इस पर पृथ्ठांकन ही करना चाहिए;
- 3. भारत सरकार की इच्छ। पर यह पासपोर्ट किसी भी समत्र रह किया भ्रथका वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी की चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट वे वे।
- पासपोर्ठधारी की पहचान का पश्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे प्रक्ते ही साथ रखें।

(पृष्ट आधरण का आंतरिक भाग) (Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF DIPLOMATIC PASSPORTS

- 1. A Diplomatic Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive a Diplomatic Passport. In such an event, a Diplomatic Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to i-suc passports to Indians abroad.
- 2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- 3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;
- (b) Children who are above freen years of age require separate Passports.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
 - 5. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, NEW DELHI, OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTAB-LISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

पार्व पी- 2 FORM P-2

सरकारी पासपोर्ट का प्रकप Form of Official Passport

> (मुख्य आधरण) (Front Cover)

सरकारी पासपोर्ढ OFFICIAL PASSPORT



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

(प्रांतरिक मुख्य प्रावरण) (Inside Front Cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपित के नाम पर उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं प्रपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, माजादी से मागे-जाने वें, भीर उसे हर तरह की ऐसी संक्षयना भीर सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे माथस्यकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

	Given at
	On, को विया गया
	भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के झावेश से विया गया BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
L	
(

(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। This passport contains 36 pages.

पासपोर्ट संख्या

सरकारी पासपोर्ट OFFICIAL PASSPORT

> भारत INDIA

Passport Number नाम	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Name		
	तथरण भीचे विष् भए हैं। by are mentioned belo	
नाम Name	जन्म की तारीब Date of Birth	लक्का/लक्की Male/Female
राष्ट्रिकता		***************************************
National Status		
	1	
	(पृष्ठ-2) (Page No. Two) (पुरितका संख्या) (Booklet Number) विवरण/Description	
सिंग	·	व्यवसाय
Sex श्रीधवास	क्ष	Profession सें॰मी॰
Domicile रंग	Height श्रोषों का	Cms. वालों सा
Colour पिला/पित का नाम	Of eyes	Of hair
Name of father/hu	sband	
स्थायी पता		
Permanent Addre	.,,	
मृत्यु प्रथवा दुर्वहना । देनी हो उपका विवरण		प्रवेषा विश्व को सूचना ted in event of death
नाम		
Name	,	,
	,	*******
Address सम्बन्ध	દેલી	होन तम्बर
Relationship	T ₁	ale, No.

2

363 GI/82-2

(ণুক্ত–3) (Page No. Three)	(পুন্ত–5) (Page No. Five)
(पुस्सिकः संख्या)	(पुरितक। संक्या) (Booklet Number)
(Booklet Number)	संक्या तारीख
. : :⊻ :	(1) No. Date
ष्टम स्थान Place of birth प्रम की तारीब Date of birth पहुंचान के प्रकट चिह्न Visible Distinganshing marks	इस पासपोर्ट की वैधता सक बढ़ाई गई है। Validity of this passport is extended up to
ष्टम स्थान Place of birth प्रसम की तारीब Date of birth पहचान के प्रकट चिह्न Visible Distringmis	
दन्म स्यान Place of Gate of Visible 1	
- '	संख्या (तारीख
rer	(2) No. Date इस पासपोर्ट की वैधता
he Bea Bea atture of	तक बढ़ाई गई है। Validity of this passport is extended up to
धारक का फोटो Phótograph of the Bearer वारक के हस्ताव्यर्(Signature of Bearer	
9 H	संक्या तारीख
वाउँ	***************************************
	(3) No. Date इस पासपोर्ट की वैद्यता
3	तक वकाई गई है। Validity of this passport is extended up to
(1982 4)	()
(ণুক-4) (Page No. Four)	5
(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)	(पुष्ठ-6) (Page No. Six)
यह पासपोर्ट निम्नलिखित वैशों की यात्रा के लिए वैध है। This passport is valid for travel to countries mentioned below:	(पुःस्तका संख्यः) (Booklet Number) বিশ্বিদ্য सेषा Miscellaneous Service

43	
	दिष्पणी /Observation
यदि सर्विध न बढ़ाई जाए तो	
इस पासपोर्ट की वैधता	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Unless renewed validity of this passport expires on	***************************************
4	6

(পুত-7 से 94) (Pages Nos. Seven to Thirty Fou.)

> (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

> > बीधा /VISAS 7—34

(পুড্ড- 35)

(Page No. Thirty Five)

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

सफर खर्च के लिए विवेशी मुद्रा

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के फानों को विवेशी मुद्रा के प्राधिकार-प्राप्त व्यवसायी के प्रकाश ग्रीर कोई न भरें।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीच Date	वेश का भाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold	वी गई प्रवादा जीटाई गई एकम (निकटतम पींड या रुपये बरावर पींड या रुपये में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	ष्यवसायी की मुहर भीर उसके हस्ताक्षर Stamp and Signa-
-			
<u>,</u>		35	

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

(পুড্ড–36) (Page No. Thirty Six)

विनिधिम सरकारी पासपोर्ट की वैद्यता

- 1. सरकारी पासपोर्ट की बैधता उस समय स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब सम्बन्धित व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपार्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण वह सरकारी पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था। ऐसी सुरत में, सरकारी पासपोर्ट को विवेश मंत्रालय, तई बिल्ली में अथवा विवेश में भारतीयों की पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी भारतीय सियान में जमा कर बेना होगा।
- 2. यह पासपोर्ट केवल उन वैशों की याजा के लिए विधा गया ह जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर उनके क्रिनिश्ति भौर वेशों के लिए भी पृष्ठांकन किथा जा सकता है । इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट उपलब्ध होने से पासपोर्टधारी कों उस बात की छूट नहीं मिल जाती कि बहु किसी देश में लागू पाप्रवासन कानूनों का पालन न करे, प्रथवा जहां बीजा हासिल करना धावप्रक हो, वहां उसे हासिल न करे ।
- 3. पासपोर्ट का धतमान बधता समाप्त हान क बाद उसका पूरा मिथाव में किसी भी समय उसका पुनर्वेधीकरण किया जा सकता है लेकिन इसकी मिथाव समाप्त होने के बाद नया पासपोर्ट सेना होगा।
- 4. पासपोर्ट फिसी भी देश से बाहर डाफ द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

- 1. यह पालपोर्ट महत्वपूर्ण बस्तामे है। यह भारत सरकार की सम्पत्ति है। यह घारक प्रथमा उसके द्वारा प्राधिकृत ग्यक्ति के पास ही धुरिक्तत रहना चाहिए यदि यह खो जाये या नच्छ हो जाए तो इसके खोने या मध्द होने की श्रीर इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के पासपोर्ट प्राधिकारी को या (यदि पासपोर्टघारी विदेश में हो तो) मिकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को बी जानी चाहिए।
- 2. इस पासपोर्ट में न ती किसी प्रकार का फैर-बबल करना चाहिए, न इसे 'बक्कत करना चाहिए और न यथो चित रूप से प्राधिकार-प्राथ्त प्रधिकारी के प्रतिरिक्त किसी भ्रष्य व्यक्ति को इस पर पृथ्ठीकन ही करना चाहिए।
- 3. मारत सरकार प्रगर चाहे तो पासपीर्ड व्यक्षितयम, 1967 के प्रावधानों के प्रक्षीन इस पासपीर्ड की जबत अथवा रह कर सकती है। ऐसी सुरत में पासपीर्डधारी को चाहिए कि वह पासपीर्ड जारी करने जाले निकटतम प्राधिकारी की यह पासपीर्ड सौंप दे।
- 4. वह पासपीट पासपीटं आरी की पहचान का पश्का प्रमाण-पृत्र होता है, इसिक्ए उसकी चाहिए कि वह इसे अपने ही साथ रख।
- 5. पासपोर्टधारी को पासपोर्ट के सम्बन्ध में पासपोर्ट प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी मुखना का तरकाल पालन करना जानतुर ।

(पृष्ठ ग्रावरण का भांतरिक भाग) (Inside back cover) REGULATIONS

VALIDITY OF OFFICIAL PASSPORTS

- 1. An Official Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the function which rendered him eligible to receive an Official Passport. In such an event an Official Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indian abroad.
- 2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- 3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life after which a fresh passport must be obtained.
 - 4. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF

INDIA. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE IMPOUNDED OR REVOKED AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE PASSPORTS ACT, 1967, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTA-BLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.
- 5. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

फार्म-पी---2 (क) FORM P-2(A)

सरकारी पासपोर्ट का प्रदय Form of Official Passport

> (मुख प्राथरण) (Front Cover)

सरकारी पासपोर्ट OFFICIAL PASSPORT



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

(मातरिक मुख मावरण) (Inside Front Cover)



क्रमके अल्पा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से मरोकार हो यह प्रार्थना एवं प्रपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना-रोक-टोक, बाजावी से ब्राने जाने वें ब्रौर उसे हर तरह की सहायता भीर भुरक्षा प्रवान करे जिसकी उसे प्रावस्थकता हो ।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given atमे
theday
ofको



भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के भादेश से विया गया
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA

(পুজ্জ-1) (Page No. One)

इस पासपोर्ट में 32 पुष्ठ हैं। This passport contains 32 pages.

सरकारी पासपोर्ट OFFICIAL PASSPORT

		INDIA		
पासपोर्ट का नम्ब No. of Passpo				
वाहक का नाम Name of Bear	rer }	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**********	
साथ हैं असकी पर Accompanied (Maiden Nan	ली (जन्म नाम) I by his wife ne)	}		
भौर		ر		बक्वे
And	• • • • • • • • • • • • • •			Children
	Ne	राष्ट्रिकता itional Status		

		1		
	(Во	(पृष्ठ-2) Page No. Tw (पुस्सिका संख्या oklet Numb विवरण SCRIPTION	eer)	
		OKII HON	पत्नी	Wife
ष्यवसाय Profession	}			
जन्म-स्थाम घौर जन्म की शारीख]			
Place and date of birth	J			
प्रधिवास Domicile	},			
क्व	े भी०	सें॰ मी॰	मी०	सें॰ मी०
Height	∫ M.	C.m.	М.	cm.
ष्ट्रांखों का रंग Colour of eyes	,}		. ,	
बालों का रंग Colour of hair	.}			, ,
पहचान के प्रकट रि Visible disting hing marks	1	**********		
नाम Namo	जन्म	HILDREN की क्षारीख teofBirth	सङ्	n/लड़की e/Female

2

(পুত -3) (Page No. Three)		(98-5) (Page No. Five)
(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)		(पुस्तिका संख्या)
•		(Booklet Number)
बाहरू का फ़ोटो PHOTOGRAPH OF BEARER		घर का पता Home Address
		भारत में स्थायी पता (प्रथात-गांव या कस्त्रे का नाम, जिला भीर राज्य) :
		Permanent address in India:
}	बाहक के हस्ताक्षर Signature of Bearef	(Including Village or Town, District and State)
	हर्म व्हें B	
फ्रोटो	사는 55	
(P _H OTO)	हिक श्राध	
	Sig	पिता / पति का नाम भीर पता (भ्रथति—-गांव या कस्बे का नाम, जिला भौर राज्य, :
पत्नी		Name of Father/Husband and his full address (Including Village or Town, District and State)
Wife		
1 1	ده.	* - *
	अर्	6 b .
फ़ीटो	हस्ता एट ठा	टिप्पणी Observations
PHOTO	पत्ती के हस्तासर Signature of wife	***************************************
\	पनी Sign	
1		***************************************
1		***************************************
3		5
(q\otimes 4)		(পুন্ত-6) (Page No. Six)
(Page No. Four)		(पृष्टिका संख्या)
(पुस्तिका संख्या)		(Booklet Number)
(Booklet Number)		नबीकरण
यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैद्य है Countries for which this passport is valid		Renewals
	, , , ,	
		6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	
***************************************		(पुष्ट 7 से 29)
धवांत्र बढ़ाई न जाये तो इस पासपोर्ट की वैंश्रता निम्न तिथि को समाप्त हुं	}:A ♣ ·	(Page Nos. Seven to Twenty Nine)
·	Q •	(पुस्तिका संख्या)
Unless renewed the validity of this passport expires on		(Booklet Number)
••••••		षी श्रा
णारी करने का स्थान		VISAS
तारीष } date }		
المناورة الم	·	7 to 29
the control of the co	المس معة ال استيان الم	The state of the s

(বৃত্ত 30 মীৰ 31) (Page Nos. Thirty and Thirty-one)

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

सफर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्रधिकार प्राप्त व्यवसायी के भ्रालावा भौर कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख) देश का नाम	दी गई या लौटाई गई	मुद्राके भधिकारप्राप्त
	जिसकी याक्षा के लिए	रकम (निकटतम पौंड	व्यवसाथी की मुहर ग्रीर
	मुदासेची गई	या रुपए के बराबर-	
	•	पौंड या रुपयों में)	,
Date	Country of tra-	Amount issued	Stamp and signa-
	vel for which	or refunded	ture of Authorised
	exchange has	(Sterling orrupee	Dealer selling
	been sold.	equivalent to	exchange
	·	nearest £ or Re.)	
		,	
	ļ		i
	}		
	}		
	ì		
	1		
	}		
	1		
	ł	1	1
	{		
	1		
	1	,	
	İ		
	})	1
	Í		
	}	}	
	1		
	.		
]		
	}		
	1		
	 	,	
		30-31	

(ণৃত্ত 32) (Page No. Thirty Two)

> (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

विनियम सरकारी पासपोर्ट की वैधता

1. सरकारी पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वत: समाप्त हो जाएगी, जब कोई व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण यह सरकार पासपोर्ट पाने का प्रधिकारी हुमा था। ऐसी सूरत में, सरकारी पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई विल्ली, में प्रथवा विदेश मंत्रालय, नई विल्ली, में प्रथवा विदेश मंत्रालय, नई विल्ली, मं प्रथवा विदेश मंत्रालय, नई विल्ली स्वार प्राप्त किसी भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।

- 2. यह पासपोर्ट केवल उन वेशों की याला के लिए है, जिनका उस्लेख पृष्ट 4 पर हैं, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्टांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्टांकिन पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू प्राप्तवास कानूनों का पालन न करे, अथवा जहां बीजा हासिल करना प्रावश्यक हो बहां उसे न ले।
- (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर प्रकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।
- (क्ष) पन्द्रमृ साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मलग-मलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।
- 4. पासपीट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी प्रविध के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।
- पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा महीं भेजना चाहिए।

चेताननी

- ग. यह पासपोर्ट मृत्यवान प्रपक्ष है। इसे किसी प्रनिधकारी के हाओं में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नच्छ हो जाए सो इस बात की ग्रीर इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकड के 'पासपोर्ट जारी करने वाले ग्रिधकारी' को या (यदि पासपोर्टजारी विवेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।
- 2. इस पालपोर्ट में न तो किसी प्रकार की ब्रवल बवल करनी चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत घधिकार प्राप्त सरकारो कर्मचारी के प्रतिरिक्त किसी घल्य व्यक्ति को इस पर पुष्ठांकन ही करना चाहिए।
- 3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह किया ग्रथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्ट बारो को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले ग्राधिकारी को यह पासपोट वे दे।
- पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्राण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह प्रपने साथ रखे।

32

(पृष्ठ भावरण का भातिरिक भाग) (Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF OFFICIAL PASSPORTS

- 1. An Official Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive an Official Passport. In such an event, an Official Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.
- 2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

- 3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone:
- (b) Childrens who are above fifteen years of age require separate Passports.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
- 5. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA

- OR IF THE HOLDER IS ABROAD TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY,

सामान्य पासदोर्ट का प्रश्व Form of Ordinary Passport

फार्म पी---3 FORM P--3

पासपोर्ट PASSPORT



भारत गुजराज्य REPUBLIC OF INDIA

(भ्रांतरिक मुख भ्रावरण) | (Inside Front Cover)



इसके द्वारा भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बान से सरोकार हों, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि हे स.८० को बिना रोक-टोक भ्राजादी से श्राने जाने में, भीर उसे हर तरह की ऐसी सहायता भीर सुरक्षा प्रवान करें जिसकी उसे भ्रावस्यकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or to her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at ,
on19,को वियागय
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के स्रावेश से दिया गया ।
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



(पुष्ठ-1) (Page No. Onc) इस पामपोर्ट में 36 पुष्ठ हैं। This Passport contains 36 pages. PASSPORT भारत INDIA पासपोर्ट संख्या Passport Number Nameजबच्चे साथ है जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं। PARTICULARS ARE MENTIONED BELOW. जन्म की सारीखा लडका/लडकी Name Date of Birth Male/Female राष्ट्रिकता National Status (पुष्ट-2) (Page No. Two) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number) विवरण/Description लिंग व्यवसाय Profession Sex सें० मी० प्रधियाम कव CMS. Domicile Height भांखों का मालों का रंग of hair Colour of eyes पिना/पनि का माम Name of father/husband स्थायी पता Permanent Address मृत्यु प्रथवा वुर्षटना की स्थिति में जिस सम्बन्धी प्रथवा मिस्न को सूचना देनी हो उसका विवरण। Particulars of relative/friend to be intimated in event of death or accident. नाम Name पता Address टेलीफोन मम्बर Tele. No. Relationship 2

	(पुष्ठ-3) (Page No. Three) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Numbor)	(पृष्ठ-5) (Page No. Five) (पृस्तिका संख्या) (Booklet Number) विविध सेवा/Miscellaneous Service
	बन्म स्थान Place of birth बन्म की तारीख Date of birth पहचान के प्रकट चिन्ह Visible distinguishing marks	टिप्पणी Observation
धारक का फोटो Photograph of the Bearef	धारक के हस्ताक्षर Signature of Bearer	5 (पृष्ठ ६ से ३५) (Pages Nos. Six to Thirty Four) (पुस्तिका संद्या) (Booklet Number) शीजा VISAS
	3 (पृष्ठ-4) (Page No. Four) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)	6—34 (पृष्ठ-35) (Page No. Thirty Five) (पृस्तिका संख्या)
(1)	यह पासपोर्ट दक्षिण भ्राफीकी गणराज्य को छोड़कर भ्रन्थ सभी वैशों की यात्रा के लिए वैध है। This passport is valid for travel to: ALL COUNTRIES EXECPT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. यदि अवधि न बढ़ाई जाए तो	(Booklet Number) सफर-खर्ज के लिए जिवेशी मुद्रा FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES इस पूष्ट के खानों को विवेशी मुद्रा के प्राधिकार-प्राप्त व्यवसायी के ग्रलावा ग्रीर कोई न भरे।
	इस पासपोर्ट की बैधता	No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange. तारीख विश का नाम वि गई अथवा लौटाई मुद्धा-के प्राधिकार-प्राप्त
(3)	संख्या तारीख No. Date इस पासपोर्ट की वैधला 	जिसकी यात्रा के लिए गई रकम (निकटतम मूब्रा बेची गई पाँड या रुपये के बरा- बर पींड या रुपये के बर या रुपये के बर या रुपये के बर या रुपये के बर या रुपये क
(4)	संख्या तारीख No. Date इस पासपोर्ट की वैधता	
	तक वड़ाई गई है। Validity of this passport is extended up to	35

(Page 36)

(पुस्तिका संख्या)

विभियम

- 1. यह पासपोर्ट केवल उन देशो की याजा के लिए विया गया है जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर हैं, लेकिन इस पर उनके अतिरिक्त और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट उपलब्ध होने से पासपोर्ट धारी को इस बाह की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवासन कानूनों का पालन न करे अथवा जहां बीजा हासिल करना आवश्यक हो वहां उसे हासिल न करे।
- 2. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता समाप्त होने के बाव उसकी पूरी मियाद में किसी भी समय उसका पुनैवैधीकरण किया जा सकता है लेकिन इसकी मियाद समाप्त होने के बाद नया पासपोर्ट लेना होगा।
- पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर काक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

पंजीशरण

बिवेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह परम भाषप्रक है कि वेयधाशीच्य निकटतम भारतीय मिशन में घपने नाम घौर पते वर्ष करवायें। यदि मिशन में स्वय न जा पायें तो पत्न लिख कर ऐसा किया जा सकता है। पते में परिवर्तन की या उस वेश से खानगी की सूचना भी मिशन को वे वेनी चाहिए। यह सूचना डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है।

घेतावनी

- 1. यह पासपीटं महत्वपूर्ण वस्ताकेज है। यह मारत सरकार की सम्पक्ति है। यह धारक प्रभवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास ही सूर्राक्षत रहना चाहिए। इसे किसी प्रनिधकृत क्यक्ति के हाथों में नहीं पशुंजने देना चाहिए। यवि यह खौ जाये या नद्ध हो जाये तो इसके खोने या नद्ध होने की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के प्रस्तार्थ प्राधिकारी को (यवि पासपीर्वधारी विवेश में हो तो) निकटतम भारतीय निशान को तथा स्थानीय पुलिस को वी जानो चाहिए।
- 2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार का फेरबबल करना चाहिए न इसे बिझत करना चाहिए झौर न यथीचित कप से प्राधिकार, प्राप्त अधिकारी के स्रतिरिक्त किसी स्रम्य व्यक्ति को इस पर पण्डांकन ही करना चाहिए।
- 3. भारत सरकार ध्रमर चाहे तो पासपोर्ट ग्रांशिनयम, 1967 के प्रावधानों के प्रधीन इस पासपोर्ट को जन्त ग्रयवा रह कर सकती है। ऐसी सूरत में पासपोर्टशारी को चाहिए कि वह पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम प्राधिकारी को यह पासपोर्ट सौंप थें।
- 4. यह पास पोर्ट पासपोर्ट धारी की पहचान का पवका प्रमाण-पश्च होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे प्रपते ही साथ रखें।
- पासपोर्वधारी को पासपोर्व के सम्बन्ध में पासपोर्व प्राधिकारी से अपन किसी भी सुवना का तस्कास पालन करना चाहिए।

पुष्ठ आवरण का झांतरिक माग (Inside back cover)

REGULATIONS

- This passport is available for travel only to the countries specified on page 4 but may be endorsed for additional countries. The possession of a passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- A Passport can be revalidated at any time after the expiry
 of its existing validity but within its total life after which
 a fresh passport must be obtained.
- 3. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. This can be done by a letter if a personal visit to the Mission is not convenient. Changes of address or departure from that country should also be notified to the Mission. This can also be done by post.

Cautlon

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOT ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE IMPOUNDED OR REVOKED AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE PASSPORTS ACT, 1967, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY.
- THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISH-ING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.
- ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT SHOULD BE COM-PLIED WITH IMMEDIATELY.

कार्म पो---3(क) FORM P-3(A)

बामान्य पासपोर्ट का प्रकप Form of Ordinary Passport

> पासपोर्ट P ASSPORT



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

ग्रांतरिक मुख भाषरण (Inside Front Cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बाभ से सरीकार हो, यह प्रार्थना एवं अरोधा की जाती है कि वे बाह्म को बिना रीक टोक झाजावी से झाने जाने दें, झौर उसे हर तरह की सहायता झौर सुरक्षा प्रवान करें जिसकी उसे झावश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at में
theday
ofको विधा गया
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के झादेश से दिया गया। BY ORDER OF THE PRESI- DENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

	(पृष्ठ -1)	
<u> </u>	(Page No. On•)	
इस पासपोर्ट में 32 This Passport con		
This Tasspott Con	पासपोर्ट	
	PASSPORT	
	भारत	
	INDIA	
पासपोर्ट का सम्बर No. of Passport बाहक का नाम	} }	,
Name of Bearer	/	
साथ हैं उसकी परनी Accompanied by l (Maiden Name)		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
मौर	•	ब फ्चे ।
And		Children
Allq	_	Children
	राष्ट्रिकता National Status	
	1	
<u> </u>	पुष्ठ- 2	<u></u>
	(Page No. Two)	
	(पुस्तिकः संख्या)	
	(Booklet Number)	
	विवरण	
	Description	
		5 DITTE.
_		पत्नी/Wifo
क्यवसाय Profession		प्रता/ १४ ॥ ७
Profession J · · ·		पत्ना/ १४ ॥ ६
		पत्ना/ १४ ११ ७
Profession र्रे · · · · जन्म-स्थान ो		पत्ना/ भग ७
Profession ∫ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		पत्ना/ १४ ११ ७
Profession जिल्लाम-स्थान श्रीर जन्म की तारीख Place and date of birth		पत्ना/ १४ ११ ७
Profession र्रियान जन्म-स्थान भौर जन्म भी तारीख Place and date of birth		पत्ना/ १४ ११ ७
Profession जिल्लाम-स्थान भौर जन्म भी नारीख Place and date of birth प्रधिकाम Domicile	े में०मी०	पत्ना/ W 11 &
Profession जिल्ला-स्थान भीर जन्म भी नारीख Place and date of birth प्रिष्ठियाम Domicile		मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म श्री तारीख Place and date of birth श्रिष्ठशास Domicile जिल्ला भी		
Profession जन्म-स्थान भीर जन्म की तारीख Place and date of birth प्रिष्ठिकास Domicile कव भी Height प्रिष्ठिकार रंग		मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान भीर जन्म भी नारीख़ Place and date of birth प्रधिकास Domicile कव भी Height M भाखी का रंग Colour of eyes		मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म श्रीर जन्म श्री तारीख Place and date of birth श्रीधवाल Domicile कव भी Height M श्रीखीं का रंग Colour of eyes		मी० सें०मी०
Profession जन्म-स्थान श्रीर जन्म श्री जन्म श्री तारीख्य Place and date of birth श्रीधशाम Domicile कव भी Height M श्रीखीं का रंग Colour of eyes श्री का रंग Colour of hair	t. C.m.	मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म श्रीर जन्म श्री तारीख Place and date of birth श्रीधवाल Domicile कव भी Height M श्रीखीं का रंग Colour of eyes	f. C.m.	मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान भीर जन्म की तारीख Place and date of birth श्रिष्ठिक्ष Domicile कव भी Height M श्रीखी का रंग Colour of eyes बालों का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चि Visiblo distinguisi	f. C.m.	मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म की तारीख़ Place and date of birth श्रीधवाल Domicile कव भी Height M श्रीखों का रंग Colour of eyes बालों का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चि Visible distinguisting marks	र. C.m.	मी॰ सें॰मी॰ M. C.m
Profession जिल्ला-स्थान भीर जन्म की तारीख Place and date of birth श्रिष्ठिक्ष Domicile कव भी Height M श्रीखी का रंग Colour of eyes बालों का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चि Visiblo distinguisi	f. C.m.	मी० सें०मी०
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म की तारीख़ Place and date of birth श्रीधवाल Domicile कव भी Height M श्रीखों का रंग Colour of eyes वालों का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चि Visible distinguisting marks	ति. C.m. नह h- बच्चे/Children जन्म की सारीख	मी∘ सें∘मी० M. C.m लड़का/लड़की
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म की तारीख़ Place and date of birth श्रीधवाल Domicile कव भी Height M श्रीखों का रंग Colour of eyes वालों का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चि Visible distinguisting marks	ति. C.m. नह h- बच्चे/Children जन्म की सारीख	मी∘ सें∘मी० M. C.m लड़का/लड़की
Profession जिल्ला-स्थान श्रीर जन्म की तारीख़ Place and date of birth श्रीधवाल Domicile कव भी Height M श्रीखों का रंग Colour of eyes वालों का रंग Colour of hair पहचान के प्रकट चि Visible distinguisting marks	ति. C.m. नह h- बच्चे/Children जन्म की सारीख	मी∘ सें∘मी० M. C.m लड़का/लड़की

(বৃদ্ত-3) (Page No. Three) (पुस्तिका सख्या) (Booklet Number) बाह्क का कोटी Photograph of Bearer	(पुष्ठ-5) (Page No. Five) (पुरिषका संख्या) (Booklet Number) धर का पता Home Address
OLOHd श्रे बाहुक के हत्लाखर Signature of Bearer	भारत में स्थायी पता (श्रयातगांव या कस्ये का नाम, जिला और राज्य) — Permanent address in India:— (Including Village or Town, District and State) पिता/पित का नाम और पता (भ्रयात्—गांव या कस्ये का नाम, जिला भीर राज्य):— Name of Father/Husband and his full address (Including Village or Town, District and State)
प ^र नी Wife	``````````
	टिप्पणी Observations
पत्नी के हस्ताक्षर Signature of Wife	
3 (पृष्ठ-4) (Page No. Four) (पृस्तिका संख्या) (Booklet Number)	नवीकरण Renewals
थह पासपीर्ट इन देशों के लिए वैध है Countries for which this Passport is valid अवधि बढ़ाई न जाए तो इस पासपीर्ट की वैधना निम्न निधि को समाप्त होती है: Unless renewed the validity of this Passport expires on जारी करने का स्थान)	6 (पृष्ठ ७ मे २९) (Page No. Seven to Twenty Nine) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number) क्षेज्
Issued at तारीख date 4	7 to 29

(पृष्ठ 30 भीर 31)

(Page No. Thirty & Thirty one)

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

सफ़र-खर्च के लिए निवेशी मुद्रा

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के भ्रधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलाचा भीर कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

ता रीष Date	देण का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold.	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटनम पींड या रुपग के बराबर- पींड या गपयों में) Amount issued or refunded (Ster- ling or rupee equi- valent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के ब्रिष्ठकार- प्राप्त व्यवसायी की मुह्द ग्रीर उसके हस्ताक्षर Stamp and sig- nature of Autho- rised Dealer sel ling exchange.
	:	30 to 31	

(पुष्ठ 32)

(Page No. Thirty Two)

(पस्तिका संख्या)

(Booklet Number)

विनियम

- 1. यह पासपोर्ट फेबल उन देशों की थाला के लिए हैं, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर हैं, लेकिन इस पर भीर देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को इस बाल की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देण में लागू भाष्रवास कानूनों का पालन न करें, भ्रथवा जहां बीजा हासिल करना भाष्यक हो, बहां उसे न लें।
- (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर मकेली याजा नहीं कर सकेगी।
- (ख) पन्त्रह साल से ऊपर की उन्न के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रस्तर-ग्रम्पर पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।
- वासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी ध्रवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।
 - 4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

रिकस्ट्री

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह नितांत धावश्यक है कि वे यथाणीध्र निकटनम भारतीय मिशन में भ्रमने नाम और पते रिजस्टर-वर्ज कराएं। पते में परिवर्तन की या उस देश से खानगी की सूचना भी मिशन को दे देनी चाहिए।

वेतावनी

- 1. यह पासपोर्ट मूल्यबान प्रपन्न है। इसे किसी प्रतिष्ठंकारी के हाणों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह जो जाए या नध्द हो जाए तो इस बात की बोर इसके कारणों की सूचना सर्वकाल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करने वाले प्रशिकारी' को या (यदि पासपोर्ट छारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय निवान को तथा स्थानीय पुलिस को देवेनी चाहिए।
- 2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की झबल-बबल करती चाहिए, न इसे विक्रुत करना चाहिए और न विधिवत अधिकारप्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य अ्यक्ति को इस पर युष्ठीकन ही करना चाहिए।
- 3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सुरत में, पासपोर्टघारी की चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी की यह पासपोर्ट वे वे।
- पासपोर्टघारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ड होता है, इसलिए चसको चाहिए कि यह इसे अपने साथ रक्खे।

32

(पुष्ठ भावरण का भांतरिक भाग)

(Inside back cover)

REGULATIONS

- 1. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so lendorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- 2. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;
- (b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.
- 3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
- 4. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. Changes of address or departure from that country should also be notified to them.

CAUTION

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITH-DRAWN AT ANY TIME AT THE DISCERETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA. IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE BE CARRIED PERSONALLY.

फार्म पी--- 4 FORM P-4

स्रापाली प्रमाणपत्र का प्रथप Form of Emergency Certificate

> (मुख भ्रावरण) (Front Cover)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



म्रापाती प्रमाण पत्र EMERGENCY CERTIFICATE

(पृष्ठ-1) (Page No. one)



श्रापाती प्रमाण-पत्त EMERGENCY CERTIFICATE


नम्बर No.

यह प्रभाणित किया जाता है

ने प्रापानी प्रमाणपक्ष पाने
के लिए मुझे भावेदन पत्र विया है भीर भेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं
है कि मैं उनके बयान पर मन्देह करूं।

This is to certify that

has applied to me for the grant of an emergency Certificate and that I have no reason to doubt his/her statement.



जारी करने नाले ब्रधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Issuing Authority

प्तारीख }		
00000		
Date J	٠.	

(पुष्ठ-2)
(Page No.	Two)

नम्बर No.

विषरण Description

(क) व्यवसाय }
(আ) रাণ্ট্রিকনা (b) National Status
(ग) पिता/पित का नाम (c) Fathers' /Husband's name
(घ) जरम का स्थान भीर तारीच्य }
(इ) भारत में पता }
 (च) प्रकट विशिष्ट चिन्ह, यदि कोई हों, (f) Visible distinguishing mark, if any ∫
(美) 板尾 (g) Height }
(জ) আলৌ কা ব্য (h) Colour of hair
(झ) भाखों का रंग } (i) Colour of eyes }
2

(পুচ্চ-3) (Page No. Three)

नम्बर े No. प्रमाणपद्रधारी के साथ एक बच्चा है / · · · · · बच्चे हैं, जिसका/जिनका क्योरा नीचे दिया गया है : The holder is accompanied by a child/......children whose particulars are shown below:

बक्तो का व्यौरा Particulars of child/children

ऋमांक							नाम									जन्म की नारीख													लङ्का/लङ्की																					
S. 1		Name										Date of birth													Sex																									
1.										٠			. ,						,											,	,													٠						
2.																	,																														4			
3.				•				,																															-											
4.																																																		

प्रमाणपत्र धारी का फोटो Photograph of Bearer

> प्रमाणपत धारी के हस्ताक्षर Signature of Bearer.

(পৃণ্ড – 4)	(পুড্ড- 5)
(Page No. Four)	(Page No. F
नम्बर	म म्ब र
No.	No.
यह प्रमाणपत्र केवल ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' से होकर	थीला
क की यात्रा के लिए वैध है।	VIS
This certificate is only valid for journey to	5
via	(पृष्ठ-6
	सम् य र
म्रविध बढ़ाई न जाए तो इस प्रमाणपत्र की वैधता निम्नलिखित	(Page No
तारीख को समाप्त होती है:	No.
Unless renewed the validity of this cortificate expires	बी खर
on ,,	VISAS
तारीख जिम तक नवीकृत किया } Renewed up to	टिप्पणीः इस श्रीपाती प्रमाणपन्न को पास
Renewed up to	छूट नहीं मिल जाती कि वह गंह
^>>	का पालनान करे घ्राथवा अहां
नवीक्षन करने का स्थान } Renewed at }	उसे न ले।
Renewed at	N.B.—The possession of this Emer
नारीख ी	exempt the holder from co
तारीख Date	tion regulations in force in from the necessity of obtain
4	6

. Five) र पा ISAS 5 (8-6)No. 6) lo. \mathbf{AS}

ाम रखने में प्रमाणप**त्रधा**री को यह गंतव्य देश में लागू आप्रवास विनियमों हां वीजा लेना ग्रावण्यक हो, वहां

mergency Certificate does not compliance with any immigrain the country of destination or taining a visa where required.

फार्म पी--- 5 FORM P-5

(मुख म्रावरण) (Front Cover)

भारत सरकार GOVERNMENT OF [NDIA



पहचान प्रमाण-पत्र IDENTITY CERTIFICATE

> भारतिक मुख भावरण (Inside Front cover)



पहचान प्रमाण-पन्न IDENTITY CERTIFICATE

प्रमाणपत्नधारी को राष्ट्रीय पासपोर्ट के स्थान पर पहचान पत्न देना ही इस प्रमाणपत्न को जारी करने का एकमान उद्देश्य है। यह न तो प्रमाणपत्नधारी की राष्ट्रिकता से प्रभावित है और न उसकी राष्ट्रिकता को प्रभावित करता है। यदि प्रमाणपत्नधारी राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त कर लेगा तो यह प्रमाणपत्न की पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम भारतीय प्रधिकारी के पास जमा कर देना होगा।

This certificate is issued for the sole purpose of providing the holder with identity papers in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the national states of the holder. If the holder obtains a national passport, this certificate ceases to be valid and must be surrendered to the nearest Indian Passport Issuing Authority.

यह प्रमाणपक्त पृष्ट 5 पर लिखित देशों की याक्रा के लिए वैध है भीर इसकी वैधता निम्नलिखित निथि को ममाप्त होती है:

(जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भीर उसकी मृहर)
(Signature and seal of Issuing Authority)

	(81814414 4114 4114 4114 4114 4114 4114
स्थान	ो तिथि रे
Place	Date
363 GI	1/82—4

(পুচ্ছ-1) (Page No. onc)

इस पहचान प्रमाणपत में 13 पृष्ठ हैं। This Identity Certificate contains 13 pages

पहेंचान प्रमाण-पत्न

IDENTITY CERTIFICATE

भारत

INDIA

पहचान प्रमाणपत्र			
का नम्बर			
No. of Identity · · · · · · ·		 	
Certificate			
प्रमाणपम्नधारी का			
नाम '			
Name of holder		 ,	٠.,
मूल राष्ट्रिकता			
Nationality of		 	
origin			
	1		
	•		

(पष्ड-2) (Page No. Two)

नम्बर No.

> व्यक्ति का विवरण Personal Description

घ्यवसाय
Profession
जन्म की तारीच
Date of birth
जन्म-स्थान
Place of birth
पिता/पति का नाम
Name of father/husband
मौं का नाम
Name of mother
कद
րպ Height
बालों का रंग
anen का रन Colour of hair
प्रौद्यों का रंग
Colour of eyes

2

(ণুত-3) (Page No. Three)					
नम्बर No.					
विशिष्ट चिन्ह Distinguishing marks	प्रमाणपत्रधारी का फोटो				
बर्तमान कार्य Present occupation	PHOTOGRAPH				
विदेश में पिछला स्थायी पता Last permanent address abroad	PHOTOGRAPH OF HOLDER				
वर्तमान पता					
Present address					
(দুল্ড–4) (Page No. Four)	4(पृष्ट-5) (Page No. Five) नम्पर No.				
भम्बर No.	पुरुष्टिन Endorsements				
प्रमाणपत्नघारी के साथ एक बच्चा है/ ` ` ` ` ं वच्चे है; ब्यौरा मीचे दिया गया है:	5				
The holder is accompanied by a child/children whose particulars are given below:	(पृष्ठ 6 मौर 7) (Page Nos. Six & Seven) नम्बर No.				
बज्बों का व्योरा Particulars of Children	नचीकरण Renewals				
क्रमोक नाम जन्म की तारीख लड़का/लड़की S No. Name Date of birth Sex 1.	6 & 7 (qvs 8社 13) (Page N 25, 8 to 13)				
2	षीता VISAS 8 to 13				

फार्म पो-6 FORM P-6

भारत एवं बंगलादेश के बीच यात्रा के लिए भारत-बंगला देश पासपोर्ट का प्रकप

Form of India-Bangladesh Passport for Travel between India and Bangladesh

मुख ग्रावरण (Front Cover)

मारत-बंगलावेश पासपोर्ट INDIA-BANGLADESH PASSPORT



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA


(मांनरिक भुष भावरण) (Inside front cover)



इसके द्वारा, भारन गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब मे जिनका इस बात से भरोकार हो, यह प्रार्थना एवं घपेक्षा की जाती है कि ने बाहक को बिना रोक-टोक, भाजादी से माने जाने दे, भौर उसे हर तरह की सहायता भौर सुरक्षा प्रवान करें जिसकी उसे भावण्यकता हो।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given	at				٠.	•				٠.	٠.	3	Ħ,
the .	,	٠.							٠.	٠.		da	y
of			 				. 1	9		٠.		. , 4	۴ĩ



झावेश से BY O PRESID	णराज्य के राष r दिया गया। RDER OF DENT OF LIC OF IND	THE THE
	,	
******		.,.,

(पृष्ठ-1) (Page No. One) इस पामपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं। This Passport contains 32 pages.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पासपोर्व PASSPORT

यह पानपोर्ट केवल भारत भीर बंगला देश के बीच सीघे याद्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी भ्रन्थ देश की याद्रा करने के लिए न किया जाए।

This Passport is valid only for direct travel between India and Bangladesh and may not be used for travel to any other country.

पासपोर्ट का नम्बर 🗎			
पासपोर्ट का नम्बर No. of Passport	• • • • • •	*******	
वाहक का नाम Name of Bearer			
			 · · · · · ·
		_	

भारत में स्थायी पता Permanent address in India

गांव या कस्वा Village or Town	
Police Station	
जिला District	State }
साथ हैं Accompanied by · · · · · · · · · · ·	बच्ने Children.

राष्ट्रिकता National Status

		i	
(ਧੂਲ-2) (Page No. Tw	a)		

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

विवरण Description

ष्यवसाय }			
Profession }		.,,,	•
जन्म का स्थान जिला और राज्य } · · · · · Place, district and State of birth J · · · · ·			
Date of birth			
मधिवास रे			
मधिषाम Domicile			•
<u>क</u> ढ़	भी ०	स॰मी॰	
कद Height	М.	C.m.	
मार्खी का रंग Colour of eyes			
बालों का रंग 🤰		.,,.,.,	
Colour of hair	.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•
पहचान के प्रकट चिन्ह	٦.		

44	सच्चे Children		(পুত-5) (Page No. Five)				
नाम	जन्म की तारी ख	लड़का/लड़की	(पुस्तिका संख्या)				
Name	Date of Birth	Male/Female	(Booklet Number)				
1	***********		पिता का नाम भीर उसका पूरा पता				
2. ,,			(ग्रर्थात् गाव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य)				
3	***********		Name of Father and his full address (including village or town, district and state)				
4	2		(=1 dame) (mage vi vonit) district und state)				
	<u>. </u>						

	(পুড- 3) (Page No. Three)						
	(पुस्तिका संख्या)						
	(Booklet Number)		***************************************				
	बाह्क का फोटो otograph of Bearor! 		***************************************				
		बाहक के हस्ताक्षर SIGNATURE OF BEARER	यदि पासपं₁र्टधारी कोई विवाहिसा स्त्री ूँया विधवा हो तो उसके पक्षि का नाम, थ्यवसाय ग्रौर पता, या ग्रग्तिम पता				
	फोटो	हस्ताक्षर OF BE	If holder is a married ledy or a widow, name, occupation and address or last address of husband				
	РНОТО	वाहक के ATURE					
		all					
		Ž					
		SIC					
			5				
}	टिप्पणी		(पुष्ठ ६ से 16)				
	Observations		(Page Nos. Six to Sixteen)				
			(पुस्तिका संख्या)				
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(Booklet Number)				
	3		र्धाजा				
			VISAS				
7.1							
	(पृष्ठ-4) (Page No. Four)						
	(पुस्तिका संख्या)						
	(Booklet Number)		6 to 16				
ध्रवधि	बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्टकी	वैधतानिम्न तिथि को					
समाप्त होती है	: :		(पृष्ठ 17 से 30)				
Unless	renewed the validity of this I	Passport expires on	(Page Nos. Seventeen to Thirty)				
**********			(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)				
	मसीक्षरण		पुष्ठांकन				
मवाकरण Renewals			ENDORSEMENTS				
_			17 to 30				

(पृष्ठ 31 मीर 32) (Pages Nos. Thirty one and Thirty two)

> (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

मफ़र-खर्च के लिए विदेशी मुद्रा | FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृथ्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के असाका भीर कोई न भरे।

No, entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange

तारी ख Date	दी गई या लौटाई गई 'रकम (निकटम पौड या रुपये के बराबर पाँउ या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent nearest £ or Re.)	मुद्रा के प्रधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और हस्ताक्षर Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.
		k 32

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग) (Inside back cover)

म् (वश्यक

- 1. यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है और यह सरकार स्वेच्छानुसार किसी भी समय, यदि चाहे तो इस पासपोर्ट को ्रह् कि. कि सिक्ती है। जहां पासपोर्ट इस करह रह किया गया हो, सरकार के लिए वैध होगा कि पासपोर्ट को प्रपने पास रख ले, यदि यह उसके कब्जे में है प्रीर यदि उसके पास न हो हो उस पर प्रपना कब्जा अर ले।
- 2. यदि यह पासपोर्ट खो जाय, तो इसकी सूचना और जिन् हार्लन में यह खो गया हो उसकी रिपोर्ट तुरुत जारी करने वाले अधिकारी को और फिकटतम धाने में करनी चाहिए या अगर नंगलादेश में खो-जाय तो निकटतम राजनियक मिशन व स्थानीय पुलिस में इसकी सूचना देनी चाहिए।
- 3. इस पासपोर्ट में किसी प्रकार की फेबबदल या काटपीट नहीं करमी चाहिए और न इस पर समुजित रूप से प्राधिकत प्राधिकारी के मितिएक्त किसी दूसरे से पृथ्ठांकन करनाया जाना चाहिए।

विभियम

- अवधि बढ़ाने के निवेदन-पत्न पासपोर्ट की श्रश्चि समाप्त होने के पहले ही देनी चाहिए और साधारण रुप से अवित समाप्त होने के तीन महीने से अधिक पहले नहीं देने चाहिए।
- 2. यह पामपोर्ट होने मे धारक को कंगल देश के बीआ प्रीर धाप्रवास विनियमों तथा भारत के उत्प्रवास नियमों के पालन में छट नहीं होगी।
- 3.(i) पन्त्रह से अधिक श्रायु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक श्रलग पत्सपोर्ट श्रवस्य लिया जाना चाहिए।
 - (ii) पन्त्रह वर्ष से कम श्रायु के जरूजे साता या पिता के किसी पासपोर्ट में, जिसके साथ यात्रा करते हों, शामिल किए जा सकते हैं।
- इस पासपोर्ट को भाषास वालें देश से बाहर डाक से नहीं भेजना चाहिए।

IMPORTANT

- 1. This passport is the property of the Government of India, and may, at the discretion of that Government, at any time, be revoked, and where the passport is so revoked, it shall be lawful for that Government to retain its possession if it is in its possession and to recover its possession if it is not in its possession.
- 2. In case of loss of this passport, that fact and the circumstances leading to the loss must be reported immediately to the issuing authority and the nearest police station or, if loss occurs while in Bangladesh, to the nearest Indian Diplomatic Mission and the local police.
- 3. This passport must not be altered or mutilated in any way nor any endorsement made on it by any person other than a duly authorised official.

REGULATIONS

- 1. Application for renewal must be made before the date of expiry of the passport and normally not more than three months before such expiry.
- bearer from compliance with Visa and Immigration fegulations of Bangladesh and emigration rules of India.
- 3. (i) A separate passport must be taken out for each person above fifteen years of age.
- (ii) Children under fifteen years of age may be included in the passport of either parent whom they accompany.
- 4. This passport should not be sent out of the country of residence by post.

पष्ठ-- ।

फार्म पी-7 FORM P-7

भारत-श्री लंका पासपोर्ट का प्रारुप Form of India-Sri Lanka Passport

> (मुख भावरण) (Front Cover)

भारत-श्री लंका पासपोर्दे India-Sri Lau'ta Passport



भारत गेणराज्य REPUBLIC OF INDIA

(बांतरिक मुख बावरण) (Inside front cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, प्राजादी से माने-जाने दें, भीर उसे हर तरह की सहायता भीर सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे भावस्थकता हो।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

	Given at
	theday
	of19
	भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आवेण है विया गया। BY ORDER OF THE PRESIDEN' OF THE REPUBLIC OF INDIA
\ /	

(Page No. One)
इस पासपोर्ट में 32 पृष्ट हैं।
This Passport cortains 32 pages.
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
धासपोर्ट
PASSPORT
यह पासपोर्ट केवल भारत और श्री लंका के बीव सीधे यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी भन्त्र देश की यात्रा करने के लिए न किया जाए।
This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country
पासपोर्ट का नम्बर No. of Passport
बाहक का नाम Name of Bearer
भारत/श्री लंका में स्थायी पता: Permanent Address in India/Sri Lanka
Village or Town }
Police Station
জিলা বৈষ্য সার District '''State, ''Province, ''
साथ हैं अवस्थे/ Accompanied by
- यष्ट्रिकता
National Status
1
ণুক্ত-2 (Page No. Two)
पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)
্বিব্ৰু Theoretical
Description अ्यवसाय
Profession.
जन्म का स्थान भौर ो जन्म की तारीख
Place and Date of birth
मधिबास }
कद मी० सें० मी०
Height M. C.m.
भ्रांचीं का रंग
Colour of eyes े
पहचान के प्रकट जिन्ह Visible distinguishing marks
पिता का नाम और उसका पता/ Name of father and his addres

यदि महिला विवाहित अथवा विधवा है तो उसके पति का नाम और पता lf married lady or a widow, name and address of husband		dress of husband	দৃৎ্য-5 (Page No. Five)	
			पुस्तिका संख्य। (Booklet Num be r)	
	Children		नवीक रण	
नाम Name	जन्म की सारीख Date of birth	लड़का/लड़की Male/Pomale	Renewals	
1		*****		
2		,,,,		
3.,,,,,,,,,,,				
4				
	2			
Person No. Thro	••\		5	
(Page No. Thre	९८) पुस्तिका संख्या		3	
	(Booklet Number)	•		
	वाहक का फोटो		पृष्ठ ६से १६	
	PHOTOGRAPH OF BEARER		(Page Nos. Six to Sixteen)	
	DEARER		पुस्तिका संख्या	
		œ	(Booklet Number)	
		बाहुक के हस्ताक्षर SIGNATURE OF BEARER	गीजा	
) BEA	VISAS	
		\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \		
ì	फोटो	्रिस्ताम् १९६६ छ।		
	(PHOTO)	44 Z		
		dige GNA)		
		F 55		
	टिप्पणी		6 to 16	
	Observations	·~		
			पुष्ठ 17 से 31	
			(Page Nos. Seventeen to Thirty one)	
* * * * * ! * * * * * * * * * * *		*************	-0	
_	3		पुरितका संख्या (Booklet Number)	
	UE: 4		(Photice Limitari)	
	বৃৎ্জ-4 (Page No. Four)		पुष्ठांकन	
	पुस्तिका संख्या		Endorsements	
	(Booklet Number)			
भविध बढ़ाई न उ होती है :	भाग तो इस पासपोर्टकी वैधला वि	नेम्न तिथि को समाप्त		
	newed the validity of this Passp	ort expires on		
		·····		
	नवनी करण Renewals			
			17 to 31	
	4		I, W JI	

(पृष्ठ-32) (Page No. Thirty Two) पुस्तिका संख्या

(Inside back cover)

विनियम

- 1. यह पामपोर्ट केवल श्री लंका की यात्रा के लिए है।
- 2. इस पासपोट के प्रथने पास होने से बाहक को इस बात की छूट महीं मिल जासी कि वह श्री लंका के बीजा सथा बाप्रवास विनियमों भीर भारत के परावास विनियमों का पालन न करे।
- (i) पन्त्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मलग-मलग पासपोर्ट जररी होगा।
- (ii) पनक्रह साल से कम उम्र कें बच्चे, माता पिता के पामपोर्ट में, जिसके भी साथ थे जा रहे हों, शामिल किए जा मर्केंगे।
- 4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे उसकी पूरी प्रविध के वौरान में किसी भी समय फिर से वैद्र किया जा सकेगा।
- 5. जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देश को पासपोर्ट बाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतायमी

- 1. यह पासपोर्ट मृत्यवान प्रपत्न हैं। इसे किसी भ्रमधिकारी के हाथों में न पहुंचमे वेना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की ग्रीट इसके कारणों की सुचना तत्काल भारत में सबसे निकट के पासपोर्ट जारी करने वाले ग्रिधिकारी की या यदि पासपोर्टधारी श्री लंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को वे वेनी जाहिए।
- 2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की प्रवल-ववल करनी चाहिए म इसे विक्रत करना चाहिए ग्रीर न विधिवत ग्रिधकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के ग्रितिरिक्त किसी ग्रम्थ व्यक्ति को इस पर पृथ्ठीकन ही करना चाहिए।
- 3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह किया अपना नापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पास पोर्टधारी की चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट वे वे।
- पातपीर्टधारी की पहचान का पक्ता प्रमाण पातपीर्ट होता है, इ सिलए उसकी चाहिए कि वह इसे प्रपंते साथ रखें।

(पृष्ठ आवरण का मांसरिक भाग) (Inside Back Cover)

Regulations

- 1. This Passport is only available for travel to Sri Lanka.
- 2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the emigration regulations of India.
- 3. (i) A separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;
- (ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
- 5. This Passport should not be sent out of the country of residence by post.

Caution

- 1. THIS PASSPORT IS A-VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNATHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MULTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS DE ESTA-BLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE BE CARRIED PERSONALLY.

फार्म पी- 8 FORM P-8

भारत-श्री लंका पासपोर्ट का प्रक्ष--देश प्रत्यावर्तियों के लिए Form of India-Sri Lanka Passport for Repatriates

> (मुख भ्रावरण) (Front Cover)

भारत श्री लंका पासपोर्ट INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(1964 और 1974 के करारों के संघीन वेश प्रश्यावर्तियों के लिए) (For Repatriates—1964 and 1974 Agreements)



भारत-गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

(झालरिक मुख झावरग) (Inside front Cover)



हमके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिन्नका इस बात से सरीकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है वे कि बाहुक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दे, और उसे हर तरह की सहायता और सुरका प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at	मे
thed	ay
of	या
J	•

(পৃষ্ড-1) (Page No. one)

इस पासपीट में 16 पृष्ट हैं। This Passport contains 16 pages

भारत सरकार पासवोर्द

GOVERNMENT OF INDIA PASSPORT

यह पासपोर्ट केवल भारत भीर श्रा शका क बीच सीधी याद्या के लिए वैध है भीर इसका उपयाग किसी अन्य देश की याद्या करने के लिए न किया जाए।

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country.

पासपोर्ट का नम्बर No. of Passport
बाह्क का नाम ame of Bearer } · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

u771

Address

Augus			
भारत में In India	श्रो लंका में In Sri Lanka		
	1 .		
साथ हैं	अ रुपे		
-			
	राष्ट्रिकता		
Nat	ional Status		
भारत	के नागरिक		
Cit	tizen of India		
	1		
	(पृष्ठ-2)		
(Pag	ge No. Two)		
(4	स्तिका संख्या)		
(Bool	klet Number)		

दिश्रंत्रण DESCRIPTION

जन्म स्थान ग्रीर जन्म की सारीख } Place and Date of birth

363 GI/82-5

अधिवास } Domicile }			(पृष्ट-4) (Page No. Four)	
कद Height श्रासी या रंग	मी॰ ·····M······		(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)	
Colour of eye बालों का रंग Colour of ha	1		भवधि बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है ; Unless renewed the validity of this Passport expires on;	
	चिन्ह guishing marks		नबीकरण	
पिता का नाम Name of fath	*· J		Renewals	
याव माहला । वर्ष If married lad	।हित प्रभवा विश्वका है, तो उस y or a widow name of hust	band	4	
•• ••••	बरुषे Children	,,.	(বৃষ্ঠ-5) (Page No: Five)	
नाम Name	जन्म की तारीख Date of birth	ल ड्का/लड्की Male/Female	(पुस्तिका संब्या) (Booklet Number)	
			टिप्पणी OBSERVATION	
4			मार्ट का हाई कमीशन कोलंबी (श्रीलंका) HIGH COMMISSION OF INDIA IN SRI LANKA, COLOMBO	
6	2		भारस का सह।यक हाई कमीणनः कैडी (श्रीलंका) ASSISTANT HIGH COMMISSION OF INDIA KANDY (SRI LANKA)	
(पृष्ठ-3) (Page No. Three) (पुस्तिका संख्या) (Booklet Number) बाहुक का फोटो			पंजीकरण का प्रमाण पत CERTIFICATE OF REGISTRATION (1964 मौर 1974 के भारत-श्री लंका करार) (India-Sri Lanka Agreements, 1964 and 1974)	
	फीटो	बाह्वक के हस्तावार SIGNATURE OF BEARER	5(1) (ख) के प्रावधानों के भ्रम्तर्गत पंजीकृत किया है। It is certified that the person whose particulars are given in this passport has been registered by me as a citizen of India under the provisions of Section 5(1)(b) of the Citizenship Act. 1955 vide Number	
(РНОТО)		वाहक SIGNATURE	तृतीय सचिव/घताणे/सक्षम प्राधिकारी Third Secretary/Attache/ Competent Authority。 5	
			(पुट 6 से 11) (Pages Nos. Six to Eleven)	
टिप्पणी Observations			(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)	
**************************************	3	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	पुष्ठांकन Endorsements 6 to 11	
				

(पृष्ठ 12 से 15) (Page Nos. Twelve to Fifteen)

> (पुस्तिका संक्या) (Booklet Number)

> > षोद्धा VISAS

12 to 15

(পুজ-16) (Page No. Sixteen)

(पुस्तिका संख्या) (Booklet Number)

विनियम

- मह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की याजा के लिए है।
- 2. यह पासपोर्ट वाहक के पास होने से बाहक को इस बात की छुट नहीं मिल जाती कि वह श्री लंका के बीजा तथा आप्रवास विनियमों भीर भारत के उत्प्रवास विनियमों का पालन न करें।
- (i) पल्द्रह साल से ऊपर की कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जकरी होगा।
- (ii) पक्द्रह साल से कम उच्च के बच्चे, माना या पिना के पामपोर्ट में, जिसके भी साथ वे जा रहे हों, णामिल किए जा सकेंगे।
- 4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधना की समाप्ति के बाद, उसे उसकी पूरी श्रवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैश्र किया जा सकेगा।
- जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देश को पासपोर्ट डाक ध्रापा मही भेजना काहिए।

चेतावनी

- 1. यह पासपोर्ट मूल्यबान प्रपन्न है। इसे किसी प्रनिधकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नव्ट हो जाए तो इस बात की ग्रीर इसके कारणों की सूचना तन्काल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करने वाले प्रधिकारी' को या (यदि पासपोर्ट आरो लंका में हो तो) भारतीय निशन को तथा स्थानीय पुलिस को देवी चाहिए।
- 2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की ग्रवल बबल करनी चाहिए न इसे बिक्कत करना चाहिए ग्रीर न विधिवत ग्रविकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्थ व्यक्ति की इस पर पृथ्ठांकन ही करना चाहिए।

- 3. भारत सरकार को ध्रुक्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सुरत में, पासपोर्टवारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने बाले अधिकारी को यह पासपोर्ट वे वे।
- पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है,
 इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे प्रपने साथ रखे।

[संख्या विश्व 1/401/17/82] पी० एस० सहाय, संयुक्त सचिव (सी वी पी)

(पष्ठ प्रावरण का प्रांतरिक भाग) (Inside Back Cover)

REGULATIONS

- 1. This Passport is only available for Travel to Sri Lanka.
- 2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the emigration regulations of India.
- 3. (i) A separate Passport must be taken out for ch person above fifteen years of age;
- (ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
- 5. This passport should not be sent out of the country of residence by post.

Caution

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MULTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

[No. V.1/401/17/82]
P.S. Sahai,
Joint Secretary (CVP)